कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

प्रार्थी **सर्वश्री श्री आनन्द गंगा इण्डस्ट्रीज, 128-बी, उद्योग नगर, कानपुर।**

प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक **030 / 14, 07.05.2014**

प्रार्थी की ओर से **श्री रमेश गजवानी, साझीदार फर्म।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री श्री आनन्द गंगा इण्डस्ट्रीज, 128-बी, उद्योग नगर, कानपुर द्वारा दिनांक 07.05.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ‘‘ Concealed M.S., G.I. & Modular Box and Fan Box made of Iron & steel ’’ पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री रमेश गजवानी, साझीदार फर्म उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए Iron & steel के बने हुए Concealed M.S., G.I. & Modular Box तथा Fan Box अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये जिसकी छवि निम्न प्रकार सुरक्षित की गयी :-

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-397, दिनांक 28.05.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा मेटल बाक्स के निर्माण / बिक्री का व्यापार किया जा रहा है तथा निर्मित वस्तु के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पूर्व में ही सर्वश्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री गिरजा शंकर, 89, एच0आई0जी0 डबल स्टोरी, बर्रा-2, कानपुर के मामले में अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-117 / 09 निर्णय दिनांक 04.02.2014 से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रश्नगत वस्तुएं मेटल बाक्स / केस / कन्टेनर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-238 से आच्छादित हैं चूँकि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उक्त सन्दर्भित वस्तुओं पर पूर्व में ही निर्णय दिया जा चुका है जो सुस्पष्ट है। अत: व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तुएं Concealed M.S., G.I. & Modular Box एवं Iron & steel से बने Fan Box अधिनियम की अनुसूची-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-238 से आच्छादित होने के कारण 4% + विशेष अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य है।

....2

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि सर्वश्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री गिरजा शंकर, कानपुर के प्रकरण में प्रार्थना-पत्र संख्या-117 / 09 दिनांक 14.12.2009 पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 04.02.2014 को पारित करते हुए मेटल बाक्सेज, केसेज एवं कन्टेनर पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-238 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

प्रार्थी द्वारा दीवाल के अन्दर स्विच बोर्ड फिट करने के लिए लगने वाले Concealed M.S., G.I. & Modular Box एवं Iron & steel से बने हुए Fan Box पर कर की दर बताने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत स्विच बोर्ड फिट करने के प्रयोग में आने वाले मेटल बाक्सेज उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-238 से आच्छादित हैं। किन्तु प्रस्तुत फैन बाक्स इस प्रविष्टि में नहीं आता है। इस ' फैन बाक्स ' में हुक लगा है, जिसमें पंखा लटकाया जाता है। इसके अन्दर पंखा नहीं रहता है। यह न तो बाक्स है एवं न ही केसेज, क्रेट या कन्टेनर की श्रेणी में आता है। अत: फैन बाक्स पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। तथा प्रस्तुत सैम्पल का अवलोकन किया गया। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेडयूल-II, पार्ट-सी के क्रमांक-238 की प्रविष्टि निम्न भाँति है :-

Articles of metals, namely boxes, cases, crates, containers and their stoppers, caps, lids of metal used for packing of goods (but not including insulated wares).

Concealed M.S., G.I. & Modular Box में बिजली के तार आदि रहते हैं एवं ऊपर से स्विच बोर्ड से बन्द किया जाता है। यह उक्त प्रविष्टि से आच्छादित है। किन्तु फैन बाक्स में पंखा लटकाया जाता है। इसका प्रयोग बाक्स या कन्टेनर के रूप में नहीं होता है एवं न ही यह क्रेट या केसेज की श्रेणी में है। इसके अन्दर फैन रखा नहीं जाता है। इस प्रकार फैन बाक्स उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी के क्रमांक-238 की उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है। यह वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है अत: इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 27 जून, 2014

ह0 / 27.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।